न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी आर.ए.एस
अपील संख्या 100/2017 एल आर एक्ट
अनवान आदराम वगैरह बनाम पूर्णराम वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर दिनांक 08.12.2005

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
07.04.2021	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलान्ट्स स्वय अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को ऑर्डरशीट दिनांक 31.05.2017 से बार –बार रेस्पोडेंट संख्या 3 के निमित सही पता अंकित कर सम्मन पेश करने हेतु लगातार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आज तारीख पेशी तक रेस्पोडेंट संख्या 3 के निमित सम्मन पेश नही किया गया है । पत्रावली वर्ष 2005 से विचाराधीन चल रही है। अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यानन्द गहलोत, दिनेश गहलोत एवं अपीलांट श्री आदराम, कृष्णकुमार एवं राजाराम को रूक– रूक कर आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के वे न तो स्वयं उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई वैधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट की एवं स्वय अपीलार्थीगणो की अकारण बिना किसी आधार के अनुपस्थिती उनके न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा अनुपस्थिती मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। अत: पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 7/4/21. अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	